**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 1683**

**उत्तर देने की तारीखः 27.12.2018**

**उच्च शिक्षा के लिए भारतीय विद्यार्थियों को रियायत दिया जाना**

**1683. डा॰ अशोक बाजपेयीः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो उच्च शिक्षा हेतु भारतीय विद्यार्थियों को रियायतें मुहैया करा रहे हैं;

(ख) प्रत्येक देश द्वारा दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने विद्यार्थियों ने रियायतें प्राप्त की हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (घ): कुछ देश भारतीय छात्रों सहित विदेशी छात्रों को छात्रवृत्‍तियों/अध्‍येतावृत्‍तियों आदि के रूप में रियायत प्रदान करते हैं। ऐसी छात्रवृत्‍तियां प्रदान करने का मामला संबंधित सरकार (अथवा) संस्‍थान अथवा संबंधित संगठन के अपने निर्णय पर निर्भर करता है। भारत सरकार की, उस देश, जिसके साथ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रूप से हस्‍ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अधीन परस्‍पर सहमति हुई है, को छोड़कर किसी देश द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्‍तियां/अध्‍येतावृत्‍तियों की संख्‍या के निर्धारण में कोई प्रत्‍यक्ष भूमिका नहीं है। सांस्‍कृतिक/शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम के तहत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्‍तियों के ब्‍यौरे **अनुबंध-।** पर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्‍त विदेश मंत्रालय ने कुछ देशों द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्‍तियों के संबंध में कुछ ब्‍यौरे दिए हैं जो **अनुबंध-।।** पर हैं।

 विदेश मंत्रालय ने भारत और संयुक्‍त राष्‍ट्र अमेरिका (यूएसए) द्वारा सह-स्‍थापित और संयुक्‍त राष्‍ट्र भारत शैक्षणिक प्रतिष्‍ठान (यूएसआईईएफ) द्वारा प्रशासित फुलब्राइट नेहरू अध्‍येतावृत्‍ति कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई अध्‍येतावृत्‍तियों के वर्ष वार ब्‍यौरे **अनुबंध-।।।** पर उपलब्‍ध कराए हैं।

**\*\*\*\*\***

उच्च शिक्षा के लिए भारतीय विद्यार्थियों को रियायत दिये जाने के संबंध में डा॰ अशोक बाजपेयी द्वारा दिनांक 27.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 1683 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उत्‍तर में उल्‍लिखित **अनुबंध-I**

विगत तीन वर्षों में नामांकनों की देश-वार संख्‍या

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | **2015** | **2016** | **2017** |
| छात्रवृत्‍ति प्रदान करने वाले देश का नाम | मंत्रालय द्वारा नामांकित अभ्‍यर्थियों की संख्‍या | प्रदाता देश द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्‍यर्थियों की संख्‍या | मंत्रालय द्वारा नामांकित अभ्‍यर्थियों की संख्‍या | प्रदाता देश द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्‍यर्थियों की संख्‍या | मंत्रालय द्वारा नामांकित अभ्‍यर्थियों की संख्‍या | प्रदाता देश द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्‍यर्थियों की संख्‍या |
| चीन | 24 | 22 | 54 | 44 | 67 | 66 |
| दक्षिण कोरिया | 10 | 5 | 15 | 8 | 13 | 06 |
| जापान | 58 | 19 | जापानी दूतावास द्वारा स्‍वयं छात्रवृत्‍ति प्रोसेस की गई थी |
| इटली | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| न्‍यूजीलैंड (कॉमनवेल्‍थ छात्रवृत्‍ति) | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| मैक्‍सिको | 9 | 4 | 4 | 0 | छात्रवृत्‍ति नहीं दी गई |
| इजरायल | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 6 |
| यूनाइटेड किंगडम (कॉमनवेल्‍थ छात्रवृत्‍ति) | 51 | 24 | 81 | 23 | 65 | 23 |

उच्च शिक्षा के लिए भारतीय विद्यार्थियों को रियायत दिये जाने के संबंध में डा॰ अशोक बाजपेयी द्वारा दिनांक 27.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 1683 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उत्‍तर में उल्‍लिखित **अनुबंध-II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | देश | छात्रवृत्‍तियों की संख्‍या | अभ्‍युक्‍तियां |
| 1. | ओमान | 8 | 2015-16 में 22016-17 में 32017-18 में 32018-19 में 5 |
| 2.  | आइसलैंड | 10 | आइसलैंड और रिक्‍जैविक यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्‍तियांवर्ष-वार विवरण उपलब्‍ध नहीं है। |
| 3. | जॉर्डन | 5 | वर्ष-वार विवरण उपलब्‍ध नहीं है। |
| 4. | ईरान | - | तेहरान चिकित्‍सा विज्ञान विश्‍वविद्यालय (टीयूएमएस) चिकित्‍सा अध्‍ययन कर रहे भारतीय छात्रों को कुछ छात्रवृत्‍तियां प्रदान करता है। |
| 5. | इंडोनेशिया | 16 | वर्ष-वार विवरण उपलब्‍ध नहीं है। |
| 6. | जापान | 561 | वर्ष 2016 में 276 वर्ष 2017 में 285 |
| 7. | रूस | 120 | वर्ष 2016 में 20वर्ष 2017 में 100 |
| 8. | आयरलैंड | 60 | आयरलैंड स्‍नातक और स्‍नातकोत्‍तर स्‍तर के भारतीय छात्रों को 60 छात्रवृत्‍तियां प्रदान करता है। |

उच्च शिक्षा के लिए भारतीय विद्यार्थियों को रियायत दिये जाने के संबंध में डा॰ अशोक बाजपेयी द्वारा दिनांक 27.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 1683 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उत्‍तर में उल्‍लिखित **अनुबंध-III**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **अध्‍येतावृत्‍ति कार्यक्रम** | **2015-2016** | **2016-2017** | **2017-2018** |
| फुलब्राइट-नेहरू मास्टर फैलोशिप | 12 | 10 | 12 |
| फुलब्राइट-नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फैलोशिप | 27 | 28 | 31 |
| फुलब्राइट-नेहरू पोस्टडॉक्टोरल रिसर्च फैलोशिप | 19 | 18 | 13 |
| फुलब्राइट-नेहरू शैक्षणिक और व्यावसायिक उत्कृष्टता फैलोशिप | 17 | 26 | 28 |
| फुलब्राइट-नेहरू कॉस्ट शेयर फ़ेलोशिप: वेंडरबिल्ट/ सीआईआई | 14 |  -  |  -  |
| फुलब्राइट-नेहरू अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रशासक संगोष्ठी | 10 | 10 | 12 |
| **कुल संख्‍या** | **99** | **92** | **96** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **अध्‍येतावृत्‍ति कार्यक्रम** | **2015-2016** | **2016-2017** | **2017-2018** |
| फुलब्राइट-नेहरू विशिष्ट पीठ | 4 | 1 | 3 |
| फुलब्राइट-नेहरू शैक्षणिक और व्यावसायिक उत्कृष्टता फैलोशिप | 52 | 57 | 48 |
| फुलब्राइट-नेहरू पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप | 2 | 1 | 1 |
| फुलब्राइट-नेहरू छात्र अनुसंधान कार्यक्रम | 59 | 56 | 58 |
| फुलब्राइट-नेहरू इंग्लिश टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम | 17 | 19 | 24 |
| फुलब्राइट-नेहरू विशेषज्ञ कार्यक्रम |  -  |  -  |  -  |
| फुलब्राइट-नेहरू अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रशासक संगोष्ठी | 9 | 11 | 14 |
| **कुल संख्‍या** | **143** | **145** | **148** |

\*\*\*\*\*